मुख्यमंत्री सड़क योजना
परिपत्र–8

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 506/22/वि–10/ग्रायांसे/स.प्र.–94/2011 भोपाल, दिनांक 18/01/2011
18/05/11

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–समस्त,
   मध्यप्रदेश

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–समस्त,
   मध्यप्रदेश

विषयः– **मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत वनक्षेत्र में बनने वाले मार्गो के निर्माण के संबंध में दिशा निर्देश।**

संदर्भ :– 1. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क सड़क योजना के संबंध में जारी परिपत्र क्रं. 1 से 5 तक।
2. म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा ग्राम सम्पर्क सड़क योजना के संबंध में जारी परिपत्र क्रं. 6 एवं 7।

––00––

मनरेगा, बीआरजीएफ एवं राज्य आयोजना मद के अभिसरण से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2013 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से, सामान्य क्षेत्र में **500** से कम एवं आदिवासी क्षेत्र में **250** से कम आबादी के ग्रामों को, बारहमासी सड़क से जोड़ा जाना है।

योजना के प्रथम चरण वर्ष 2010–11 हेतु 23 जिलों में 141 सड़कें लंबाई 593.35 कि.मी., को वनक्षेत्र में निर्मित होना है। शासन के निर्णय के अनुसार वनक्षेत्र के कार्यो का निष्पादन वन विभाग द्वारा किया जाना है। कार्यो के निष्पादन के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :–

1– शासन द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार वन क्षेत्र के ग्रामों को नजदीकी राजमार्ग, जिलामार्ग, प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के मार्ग अथवा जो भी पक्की सड़क हो, ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार, जोड़ा जावे ।

1.1– जहाँ–जहाँ पर मार्ग की विद्यमान चौड़ाई पत्र में दर्शाये रेखाचित्र के अनुरूप भूमितल पर उपलब्ध है वहां वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आवेदन करेंगे तथा मार्ग उन्नयन की स्वीकृति संबंधित वनमण्डल के प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जायेगी। जहां पर विद्यमान मार्ग को चौड़ा करना आवश्यक है वहां वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र शासन की अनुमति हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया संबंधित विभाग द्वारा अपनाई जावे :–

1.1.1– जहाँ प्रस्तावित सड़क की संपूर्ण लंबाई वनक्षेत्र के अंतर्गत आती है, वहाँ वन विभाग इस परिपत्र की कंडिका 2 में उल्लेखित रोड के क्रास सेक्शन अनुसार, तथा डी.पी.आर. में स्थल की आवश्यकतानुसार विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण हेतु केन्द्र शासन की अनुमति प्राप्त करेगा।

1.1.2– जहाँ प्रस्तावित सड़क की आंशिक लंबाई वनक्षेत्र में एवं आंशिक लंबाई राजस्व/निजी भूमि के अंतर्गत आती है, वहाँ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इस परिपत्र की कंडिका 2 में उल्लेखित रोड के क्रास सेक्शन अनुसार तथा डी.पी.आर. में स्थल की आवश्यकतानुसार, विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण हेतु केन्द्र शासन की अनुमति वन विभाग के सहयोग से प्राप्त करेगा।

2– वनक्षेत्र में ग्राम सम्पर्क सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले मार्गो में अर्थवर्क (एम्बैंकमेंट एवं सबग्रेड) कार्य का निष्पादन वन विभाग द्वारा किया जावेगा। मार्ग की ग्रेवल सतह पर चौड़ाई 6.30 मी. रखते हुये निचली सतहों की गणना रेखाचित्र में दर्शाये अनुसार की जावेगी जो कि अर्थवर्क की ऊंचाई के आधार पर 9 से 11 मी. के मध्य होगी। सड़क के विभिन्न अवयवों को दर्शाने वाला रेखाचित्र निम्नानुसार है :–

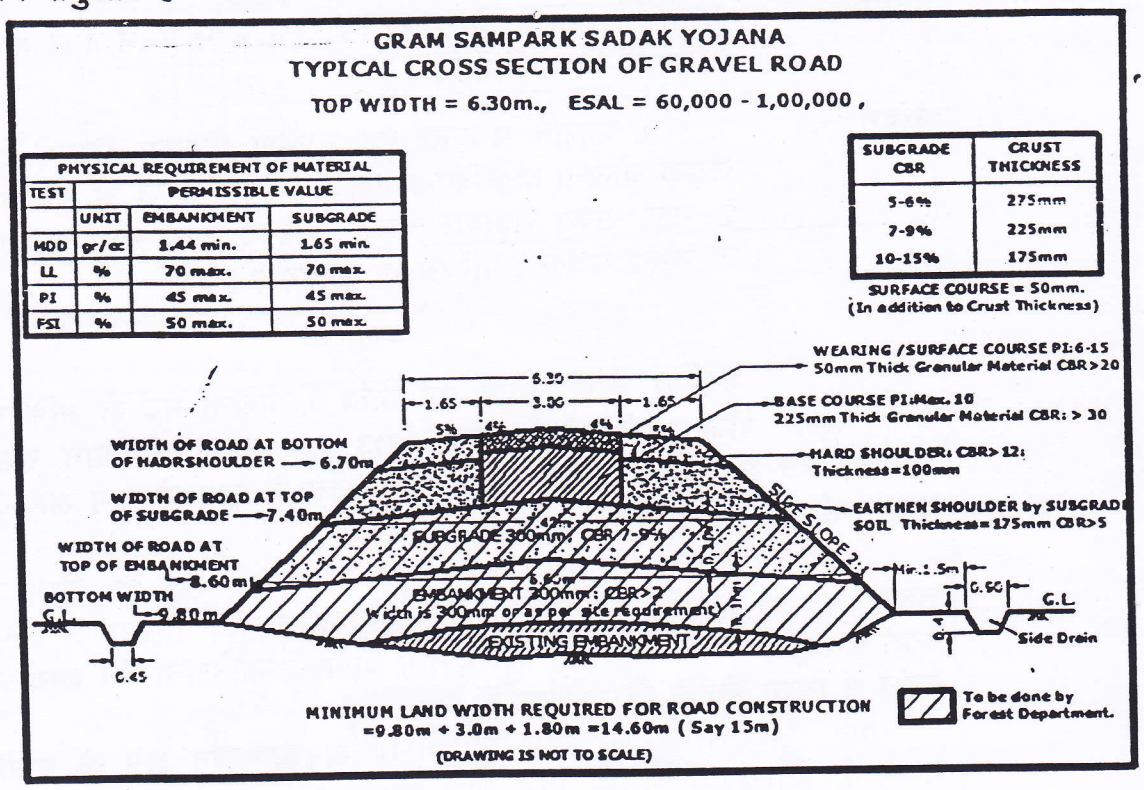

2.1 मिट्टी एम्बैंकमेंट का निर्माण :– सामान्यतः साधारण मिट्टी (काली मिट्टी छोड़कर) से रोलर से कुटाई करते हुये 15 से.मी. की परतों में किया जावे।

2.1.1 वनक्षेत्र में मिट्टी का कार्य इस प्रकार किया जावेगा कि प्रत्येक परत (layer) काम्पेक्शन के बाद मिट्टी की ऊंचाई अधिकतम 15 से.मी. हो अर्थात 15–15 से.मी. की दो लेयर में संलग्न रेखाचित्र में दर्शित 2:1 के साईड स्लोप को रखते हुये बाटम विड्थ की गणना कर मिट्टी का कार्य

किया जावेगा। यदि मिट्टी का कार्य 30 से.मी. से अधिक ऊंचाई में किया जाना है तो आवश्यकतानुसार दो से अधिक लेयर्स में काम्पेक्शन का कार्य किया जावेगा तदनुसार बॉटम विड्थ की गणना कर कार्य कराया जावे।

2.1.2 सड़क निर्माण में पानी के निकास को सुनिश्चित करने हेतु रेखाचित्र में दर्शित अनुसार मार्ग के दोनो ओर नाली का निर्माण किया जावेगा जिसकी मिट्टी एम्बैंकमेंट में उपयोग की जावेगी।

2.2 **मिट्टी के सबग्रेड का निर्माण** :– सामान्यतः पीली/काली, कंकड़ीली मिट्टी/मुरम (5 सीबीआर से अधिक) से रोलर से 15 से.मी. मोटाई की कुटी हुई परत (layer) में यह कार्य संपादित कराया जावे।

2.2.1 सबग्रेड के निर्माण में भी रेखाचित्र में दर्शित चौड़ाई में 15–15 से.मी. की दो लेयरों में काम्पेक्शन का कार्य किया जावेगा।

2.3 मिट्टी के कार्य में 4 प्रतिशत क्रास कैम्बर का निर्माण किया जावे।

3– वन विभाग द्वारा सड़क के निर्माण में एम्बैंकमेंट एवं सबग्रेड का कार्य किया जावेगा। सबग्रेड स्तर पर वन विभाग द्वारा सड़क की ऊपरी चौड़ाई 7.40 मी. रखी जावेगी एवं इस सबग्रेड के ऊपर बेसकोर्स का कार्य कराया जावेगा। भारतीय सड़क कांग्रेस के मापदण्डों के अनुरूप ग्रेवल स्तर पर मार्ग की ऊपरी चौड़ाई 6.30 मी. एवं पुल–पुलियों का निर्माण 7.5 मी. (पुलिया के बाहर से बाहर) चौड़ाई में किया जावे।

3.1– वन विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन सड़क के सबग्रेड स्तर से ऊपर ग्रेवल बेसकोर्स, सर्फेसकोर्स एवं शोल्डर्स का कार्य तथा आवश्यक पुल–पुलियों का कार्य ठेका पद्धति से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराया जावेगा। इस हेतु वनक्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को कार्य करने की अनुमति वन विभाग द्वारा दी जावेगी।

4– मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन हेतु वनक्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को दायित्व दिया गया है । ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने प्रदेश की सभी सडकों को चिन्हित करते हुए, डी.पी.आर. बनाने तथा कार्य के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु माह जुलाई 2010 में कन्सलटेन्ट नियुक्त कर दिये है । वनक्षेत्र अंतर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के डी.पी.आर. जिले में नियुक्त कंसल्टेंट तैयार करेंगे।

5– जिलों में नियुक्त कंसल्टेंट डी.पी.आर. बनायेंगे। डी.पी.आर. की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की जायेगी।

6– कन्सलटेन्ट को, डी.पी.आर. बनाने हेतु भुगतान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा, योजनांतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद से किया जाएगा।

7– **राशि उपलब्धता की मदें** :–

इस कार्य हेतु निम्न दो स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त होगी। जो कि निम्नानुसार व्यय की जा सकेगी :–

7.1 **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मद (मनरेगा मद)** :– इस मद से नरेगा के प्रावधानों के अनुसार निम्न कार्य संपादित किये जाएंगें

(क) इस मद में मिट्टी, मुरम आदि खोदने तथा बिछाने का कार्य जॉबकार्डधारी अकुशल श्रमिकों द्वारा किया जाएगा। अर्थ वर्क एवं मिट्टी के शोल्डर से जुड़े सभी कार्य मनरेगा के अंतर्गत किये जाएगें। ये कार्य 60:40 की मजदूरी एवं सामग्री के अनुपात में किये जाएगें।

(ख) 15 से.मी. मोटी मिट्टी की परतों में वाटरिंग रोलिंग का कार्य रोलर, टेंकर से (सामग्री के अनुपात की सीमा के अंदर)

(ग) 60:40 का मजदूर एवं सामग्री की सीमा में रहते हुए आवश्यक होने पर उपयुक्त गुणवत्ता की मिट्टी का परिवहन।

उपरोक्त कार्यों में श्रम के स्थान पर मशीनों एवं ठेकेदारी का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। मनरेगा के प्रावधान अनुरूप जॉबकाडधारी मजदूरों का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

7.2 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद (राज्य मद) :- इस मद से निम्न कार्य किये जायेगे :-

(क) ऐसी सडकें जहां उपयुक्त गुणवत्ता की मिट्टी,मुरम,ग्रेवल आदि उपलब्ध नही हो पाती हैं तथा परिवहन व्यय में अधिकता के कारण, मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात संधारित करने में कठिनाई होती है, वहां परिवहन में होने वाले अतिरिक्त व्यय का मनरेगा के साथ अभिसरण कर अतिरिक्त परिवहन का व्यय मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद पर भारित होगा।

(ख) वांछित गुणवत्ता के ग्रेवल अथवा कड़े मटेरियल की खुदाई/एकत्रीकरण श्रमिकों द्वारा संभव न होने पर मशीनों के द्वारा किया जायेगा। ऐसी स्थिति में होने वाला व्यय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भारित होगा।

(ग) सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग में आने वाले गौण खनिज, (मुरम तथा कड़ी मिट्टी इत्यादि) पर लगने वाली रायल्टी का भुगतान क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद से नियमानुसार किया जायेगा।

8— राशि का प्रवाह

8.1 इन मण्डलाधिकारी को मनरेगा मद से राशि, चैक के माध्यम से, प्रचलित निर्देशों के अनुरूप, उपलब्ध कराई जाएगी ।

8.2 प्रशासकीय स्वीकृति के अनुरूप मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (राज्य आयोजना मद) की राशि जिला पंचायत द्वारा, संबंधित वनमण्डलाधिकारी को निर्गमित की जावेगी।

9— **लेखांकन**

मनरेगा के पूर्व में चल रहे कार्यों की एम.आई.एस. लेखांकन की भांति प्राप्त आवंटन एवं व्यय के लिए एम.आई.एस. की आवश्यक प्रविष्ठियॉ, वन विभाग द्वारा उनके द्वारा संपादित कार्य हेतु की जावेगी ।

10— अर्थवर्क के कार्य में कम्पेक्शन करने एवं परिवहन आदि पर लगने वाली मशीनरी से कार्य कराने हेतु, मुख्यमंत्री सडक योजना हेतु जिला स्तर पर गठित मशीन सेल की निर्धारित दरों पर कार्य कराया जा सकेगा ।

11— **तकनीकी मार्गदर्शन**

11.1 वनविभाग के अमले को सड़क निर्माण की॰ तकनीक का प्रशिक्षण, तदानुसार जिला स्तर पर जिले के म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से दिया जावेगा।

11.2 मार्ग के कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण जिले में योजनांतर्गत नियुक्त कन्सलटेन्ट द्वारा किया जावेगा, तथा वन विभाग द्वारा संपादित मात्राओं के अनुरूप किये गये भुगतान के आधार पर कन्सल्टेन्ट को भुगतान, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा, प्रशासनिक मद में प्राप्त राशि से किया जावेगा।

11.3 जिला पंचायत द्वारा मशीन सेल हेतु अनुमोदित दरों पर, रु. दो लाख की सीमा तक विकासखण्ड हेतु निर्धारित/स्वीकृत कम्पेक्शन यूनिट को वाटरिंग एवं काम्पेक्शन का कार्यादेश जारी कर, कम्पेक्शन का कार्य कराया जा सकेगा। इस हेतु काम्पेक्शन टेस्टिंग का कार्य प्रथमतः रोलर मालिक द्वारा एवं तदुपरांत कंसल्टेंट द्वारा किया जाकर अभिलेखित किया जावेगा।

12— **लेखा परीक्षण**

ग्राम सम्पर्क सड़क योजना से संबंधित लेखे प्रत्येक स्तर पर महालेखाकार ऑडिट के लिए सदैव उपलब्ध रहेगें इसके अतिरिक्त अन्य संस्थागत ऑडिट एजेंसियों द्वारा भी इनका ऑडिट किया जा सकेगा।

13— **अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षणः—**

13.1 मॉनीटरिंग हेतु नरेगा के अंतर्गत एम.आई.एस. तथा एक्जिट प्रोटोकॉल की व्यवस्था पूर्व से प्रचलित है, जिसका पालन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये भी किया जावेगा। योजना की मॉनीटरिंग के लिये पृथक से सॉफ्टवेयर तैयार कराया जावेगा।

13.2 योजना की प्रगति प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्रों में तैयार की जावेगी।

13.3 योजना अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों की सतत् मॉनीटरिंग राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर की जावेगी।

13.4 राज्य स्तर से विकास आयुक्त द्वारा प्रति त्रैमास पर योजना की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। संभाग स्तर पर संभाग आयुक्त एवं जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा योजना की मासिक समीक्षा की जायेगी। जिला पंचायत तथा जनपद पंचायतों की बैठकों में योजना की प्रगति की जानकारी सूचनार्थ दी जायेगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु परिपत्र क्रं. 1 से 7 में मार्गों के निर्माण के संबंध में, मार्गों की तकनीकी विशिष्टियों, निर्माण तकनीक, राशि का प्रवाह, लेखांकन, पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण आदि के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। इनकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। इनमें निहित निर्देश इस आदेश के साथ सहपठित रहेंगे।

यह आदेश वन विभाग के पृष्ठांकन क्रं. 2986/एफ–25–41/10/3/10 दिनांक 20/12/10 द्वारा प्राप्त अनुमोदन पश्चात् जारी किये जा रहे हैं।

कृपया कार्य को प्रोजेक्ट मोड में संपादित किये जाने हेतु दिशा–निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।

(आर. परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 507/22/वि–10/ग्रायांसे/स.प्र.–94/2011 भोपाल, दिनांक 18/01/2011
18/05/11

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
5. मुख्यकार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन भोपाल।
6. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
7. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
8. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल .....(समस्त)।
9. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पीआईयू.....समस्त मध्यप्रदेश।
10. कार्यक्रम अधिकारी (समस्त) MGNREGS-MP, जनपद पंचायत..... म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग